निविदा की शर्ते

1–कार्य की लागत के सापेक्ष प्रत्येक कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि बचत पत्र/किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बैंक की एफ.डी. आर./सी.डी. आर. अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला के नाम अलग–अलग बन्धक हो निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है।

2– बिना धरोहर धनराशि संलग्न किये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3–सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

4–समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार जीएसटी, आयकर, रायल्टी,लेबर सेस एवं अन्य कर कटौतियाँ ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।

5–निविदा के साथ रू० 100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू० 1/–के रसीदी टिकट लगाकर निविदा दरों की वैधता के सम्बन्ध में अनुबन्ध हस्ताक्षर कर लगाना आवश्यक होगा।

6–निविदा स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को नियमानुसार अनुबन्ध करते समय उपरोक्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के क्रमांक 36 के अनुसार 3 प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा धनराशि जो कि बचत पत्र/किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बैंक की एफ.डी. आर./सी.डी. आर. अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से उपरोक्तानुसार बन्धक रखनी होगी।

7–टेण्डर साफ भरना चाहिए ओर उसमें कोई ओवर राइटिंग नही होनी चाहिए।

8–निविदा के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित करना होगा। ऐसे न होने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9–कार्य के सम्पादन में यदि किसी प्रकार की क्षति विभाग को होती है तो इसका हर्जाना सम्बन्धित ठेकेदार को देना होगा।

10–ठेके के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई भी सामाग्री तथा मजदूर परिवहन तथा स्टोर व्यवस्था का प्रबन्ध नही किया जायेगा, यह सम्पूर्ण व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

11–निविदा एक बन्द लिफावे में डालनी होगी, निविदा में दी गयी दरें सभी कर/टैक्स सहित होने आवश्यक है।

12–निविदादाता को निविदा शर्त को पढ एवं समझकर निविदापत्र भरना होगा। यदि इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

13–निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार अध्यक्ष, निविदा समिति/क्रय समिति नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला में निहित होगें। किसी भी निविदा के सम्बन्ध में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदा समिति के मॉगें जानें पर निविदादाता का मूल प्रमाण पत्र तत्समय ही प्रस्तुत करनें होगें।

14–निविदादाता द्वारा अनुबन्धपत्रों की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता व सुसंगत आवश्यक नियन्त्रण आदेशों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

15–निविदा के सम्बन्ध में पक्ष सर्मथन करना निषेध है। ऐसा होने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदायें अस्वीकृत की जा सकती है।

16–कार्य आदेश होने पर यदि निविदादाता निर्धारित समय में कार्य करने में अक्षम रहता है अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लधंन करता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी । और इसके कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

17–निविदादाता द्वारा यदि कम दरो पर कार्य करने हेतु दरे दी जाती है तो नियमानुसार परफोरमैन्स सिक्योरिटी (5 प्रतिशत से अधिक पर) सी.डी.आर./एफ.डी.आर./एन.एस.सी के रूप में शासनादेश संख्या–6447/III (2)/11–20(सा०)/11 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के अनुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला के नाम बन्धक के रूप में जमा करनी होगी।

18– शेडूल्य बी में निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुबन्ध की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी साथ ही निर्धारित समयान्तर्गत कार्य सम्पादित करना होगा अन्यथा ठेकेदार के भुगतान बिल से अर्थ दण्ड की कटौती की जायेगी।

20–रू० 10.00 लाख से अधिक के कार्यो के लिए विगत 02 वर्षों का आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के मध्य व कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही कार्य के बिलो का भुगतान किया जायेगा ।

22–निविदा के साथ ई.पी.एफ.ओ. में पंजीकरण सर्टिफिकेट व ई.पी.एफ.ओ. चालान संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिन ठेकेदारों का निविदा प्रपत्र के साथ ई.पी.एफ.ओं. पंजीकरण प्रमाण पत्र व ई.पी.एफ.ओ. चालान संलग्न नही होगा तो उनकी निविदा निरस्त की जायेगी।

23–ठेकेदारों से परफोरमेन्स धनराशि के रूप में दी गयी एफ.डी.आर./सी.डी.आर./राष्ट्रीय बचत पत्र कार्य सन्तोषजनक सम्पन्न होने पर एवं शासनादेशानुसार निर्धारित समय अवधि 18 माह के पश्चात वापस की जायेगी।

24– निविदादाता/कम्पनी/फर्म/डीलर का **GST** रजिस्ट्रेशन एवं **GST No Dues** प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मुनिकीरेती–ढालवाला

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
मुनिकीरेती–ढालवाला

घोषण पत्र

मैने/हमनें उपरोक्त सभी शर्तो एवं आवश्यक सूचनायें जो निविदा पत्र के साथ प्राप्त हुई है को भली प्रकार से पढकर समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्ते स्वीकार है एवं वर्णित शर्तो/निर्देशों का पालन करने हेतु सहमत है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर–

निविदा दाता का नाम–

पूरा पता–

Scanned with OKEN Scanner

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती–ढालवाला,टिहरी गढ़वाल द्वारा वर्ष 2025–26 में निकाय निधि/राज्य वित्त आयोग/15वॉं वित्त आयोग/अन्य के अन्तर्गत निकाय में पंजीकृत ठेकेदारों से निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सीलबन्द निविदाए निकाय द्वारा जारी निर्धारित निविदा प्रपत्र पर दिनॉक 26–12–2025 को अपराहन 1.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो कि उसी दिन सांय 3.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, निविदा के कार्यो का विवरण एवं शर्त नगर पालिका की वेबसाईट www.nppmunikireti.in कार्यालय नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला के सूचना पट्ट एवं निर्माण अनुभाग में देखी जा सकती है, निविदा, निविदा खुलने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। निविदा फार्म व शर्त नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला कार्यालय से दिनॉक 24–12–2025 तक कार्यालय दिवस में मध्यान 02.00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है, निविदा आगन्त्रण की तिथि पर अवकाश होने पर अगली तिथि पर निविदा की जायेगी, किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष निविदा समिति में निहित है।

(अंकिता जोशी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, परिषद
मुनिकीरेती–ढालवाला ।

(नीलम बिजल्वाण)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
मुनिकीरेती–ढालवाला

कार्यालय– नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती टिहरी गढवाल ।

पंत्राक 939 / निविदा सूचना/ 2025–2026/ दिनॉक 10/ 12 / 2025।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर चस्पा हेतु प्रेषित ।

1–जिलाधिकारी टिहरी गढवाल ।

2–नगर निगम ऋषिकेश/नगर पालिका परिषद नरेन्द्र नगर/नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक/नगर पंचायत तपोवन।

3–कार्यालय सूचना पट्ट पर अवलोकनार्थ।

4–प्रभारी संवाददाता द पाईनर देहरादून व राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को न्यूनतन स्पेस में अपने समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर बीजक भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करे। प्रकाशित सूचना की 05–05 प्रतियॉ बिल के साथ कार्यालय को उपलब्ध करवाये।

5–उप निदेशक(आई०टी०)/डी०आई०ओ० राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनपदीय वेबसाईट Tehri.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका,परिषद
मुनिकीरेती–ढालवाला।

Scanned with OKEN Scanner